:विज्ञप्तिः

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026–27 एवं 2027–28 की अवधि हेतु जनपद पिथौरागढ़ की अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन तृतीय चरण के अधिकतम ऑफर के माध्यम से निम्नानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाना है:–

क्र0सं0	विवरण	दिनांक
01	तृतीय चरण के अधिकतम ऑफर मदिरा दुकानों का आंवटन हेतु आवेदन एवं आवंटन की तिथि व समय	दिनांक 30.03.2026 को 10.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक ऑफर प्राप्त किये जायेंगें तथा प्राप्त ऑफर सांय 5.00 बजे से जिला सभागार कलेक्ट्रेट पिथौरागढ़ में खोंले जायेगें।

जनपद पिथौरागढ़ में अवशेष व्यवस्थापित की जाने वाली देशी मदिरा दुकानों का विवरण निम्नवत् है:–

जनपद	मदिरा दुकान का नाम व प्रकार
पिथौरागढ़।	(01)दे0म0दु0 सुवालेख (नवसृजित), (02) दे0म0दु0 बलुवाकोट(नवसृजित), (03) दे0म0दु0 जाजरदेवल (नवसृजित) (04) दे0म0दु0 उड्यारी बैण्ड/चौकोड़ी (नवसृजित)

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या–176/XXIII-1/2025–04(01)/2025 देहरादून दिनांक 05 मार्च, 2025 के अनुसार पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व–प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी0–39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण–पत्र (मूल रूप में)/एफ0डी0आर0 (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि (दोनों वर्षो के कुल राजस्व का 02 प्रतिशत के बराबर की धनराशि) व प्रक्रिया शुल्क रू0 65000/– (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ के पक्ष में देय हो सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई0टी0आर0 प्रमाण–पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई0टी0आर0 प्रमाण–पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है।

आवेदक आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025 (त्रिवर्षीय) के उपबन्धों के अनुसार आवंटन के नियमों एवं शर्तो से भिज्ञ हो। दुकान आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट **www.uttrakhandexcise.org.in** अथवा **www.uk.nic.in** एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,
पिथौरागढ़।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या 731/जि0अधि0/म0दु0/व्यवस्थापन/नवीन ऑफर/2025–26/पिथौ0/दिनांक मार्च 29,2026

प्रतिलिपि:– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी,पिथौरागढ़।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त कूमाऊँ मण्डल हल्द्वानी, नैनीताल।
4. उप आबकारी आयुक्त आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. जिला सूचना एंव विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 पिथौरागढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को एन0आई0सी0 के विभागीय वेबसाईट में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु अपलोड करने का कष्ट करें।
6. संपादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 30.03.2026 के सम्पूर्ण उत्तराखण्ड संस्करण में न्यूनतम शासकीय दरों पर प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

29/03/2026

जिला आबकारी अधिकारी,
पिथौरागढ़।